अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध / अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख स0 88/19-20

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h के तहत जाँच एंव कार्रवाई से संबधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
23/3/19	झारखड सरकार के ज्ञापाक–2074 / रा0 दिनाक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव राजस्व एव भूमि सुधार विभाग का पत्र सख्या–3–खा0 म0 निति–119 / 85 / 2308 / रा0 दिनाक 03.09.1985 एव सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सख्या–914 / रा0 दिनाक 09.12.1998 मे निहित निर्देश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबदियो की जॉच प्रारभ की गयी। जाच के कम मे हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है– मौजा– कोलाकुसमा मौजा न0– 12 खाता न0 142 प्लॉट न0 1298 रकबा 5.45 डी. की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबदी उस मौजा के पजी–।। के जिल्द सख्या 17 के पृष्ठ सख्या 3145 पर जमाबदी रैयत श्रीमती कुसुम देवी पति– श्री शिवशंकर सिंह के नाम से कायम है। हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्व कायम जमाबदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमाबदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के / अवैध बदोबस्ती के आधार प / अवैध कोडकर बदोबस्ती के आधार पर / अवैध लगान निर्धारण के आधार पर / सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजि लाभ एव राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है। अतः– उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अंचल–निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनांक 1/4/19 को रखे। 23.3.19 अंचल अधिकारी, धनबाद।	

Scanned with CamScanner

1/5/19 अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक से मतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है।
अभिलेख दिनाक 15/5/19 को रखे।

अचल अधिकारी
धनबाद।

15/5/19 अभिलेख उपास्थिपित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नही हो सका।
अभिलेख दिनाक 29/5/19 को रखे।

अचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20 अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनाक 29/6/20 को रखें।

अचल अधिकारी
धनबाद।

29/6/20 अभिलेख उपस्थपित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा कोल्हाकुसमा मौजा न0 12 खाता 142, प्लाट न0 1298, रकबा 5.26 डी. भूमि से संवधित है। आवदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नही चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवदित भूमि दाखिल खारिज केस न0 .... (......) .... के अनुसार कायम है। तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पजी को संदेहास्पद माना गया है। जिसे संवधित उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक मे जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एव संशोधत।

अचल अधिकारी,
धनबाद।

अचल अधिकारी,
धनबाद।

Scanned with CamScanner

अंचल अधिकारी का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या—......88....../2019 20 (अन्तर्गत धारा—4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम...... श्रीमती ... देवी
पति- श्री ... सिंह
सा.- कोलाकुला

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा—....कोलाकुला....थाना नं०—....12.... खाता नं०—....142.... खेसरा नं०—....1288....रकबा—....5.26...से संबंधित आपके नाम से ह0 नं०—....II.... के पंजी—II भाग....17.... के पृष्ठ....3145....पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक—....................को समय—11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त भूमि का रिटर्न—I, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति—युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।

तिथिः—　　　　मुहर　　　　अंचल अधिकारी

स्थानः—

robin C:\Users\HP\Desktop\binod sir\court case.docx

Scanned with CamScanner

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- श्रीमती [illegible] देवी पति श्री- [illegible]

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
[illegible]	12	142	1298	5-26 डी

3. जमाबंदी पंजी – II के जिल्द संख्या ....12..... पृष्ठ सं0 ....3125.... पर कायम है–

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है – 2006-07

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– गैर आवाद

6. किस सक्षम प्रधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– लगान धार्य / बन्दो वस्ती/ दा0 खा0 मु0सं0....... 876(II)

2006-07 जमाबंदी. 2701 [illegible]

7. यदि संदेहास्पद जामबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :– [illegible]

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधर (अनिबंधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोवस्ती –

[illegible] 1222 (II) 04-05 जमाबंदी. 287 [illegible]

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा

दाखिल रिटर्न / बन्दोबस्ती पंजी/ लगान निर्धारण पंजी / भू – हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	20-47885	18-8-06	06-07
2	448360	1-6-10	10-11
3	018430	25-9-11	15-16

Scanned with CamScanner